न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 27/2018
CIS No. :– TS/167/2018
CNR :– BRWC22–000129–2018

सुशील सिंह एवं अन्य बनाम् **महजर मियां एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
22.03.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांक 22.03.2022 आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 5 परिसीमा अधिनियम समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षो द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 22.03.2022 व आपत्ति के निस्तारण पर बल दिया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–22.03.2022 वादी पक्ष के द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 22.03.2022 आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 5 परिसीमा अधिनियम समर्थित शपथपत्र प्रतिवादी संख्या 3 गीरगीट मिश्र की मृत्यु दिनांकित 20.01.2021 को होने के कारण प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र में विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसानो को प्रतिस्थापित किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण के द्वारा आपत्ति की गई है। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। अभिलेख के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 गीरगीट मिश्र की मृत्यु उपरान्त उपरोक्त प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र विलम्ब क्षमा याचना के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें मृत्यु की तिथि दिनांक 20.01.2021 अंकित है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। विलम्ब क्षमा हेतु लिये गये आधार विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त है।	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 27/2018
CIS No. :– TS/167/2018
CNR :– BRWC22–000129–2018

सुशील सिंह एवं अन्य बनाम् **महजर मियां एवं अन्य**

लगातार **22.03.2022**	प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसानो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अत: प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.03.2022 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक–22.03.2022 मुव० 800/– रूपये हर्जे पर स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जाता है। तदनुसार प्रतिस्थापना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पक्ष वादपत्र में वांछित संशोधन/प्रतिस्थापना विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करें। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–01.04.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज	